राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/21	395/2020 लक्ष्मीदेवी / जमना	

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलार्थीया द्वारा मूलतः अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/03/2020 को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 17/03/2020 से पूर्व दिनांक 05/03/2020 को रेस्पो.संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर तलब कर एकतरफा में अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश दिनांक 05/03/2020 के माध्यम से अपीलार्थीया को प्रतिवंधित किये जाने के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है, जिसके सन्दर्भ में अधीनस्थ नयायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/03/2020 को रेस्पो. संख्या 1 जमना देवी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी पर एक पक्षीय सुनवाई कर दोनों पक्षों को प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में आगामी पेशी दिनांक 17/03/2020 तक के लिये प्रतिबन्धित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया एवं तत्तपश्चात निरन्तर करीबन सात बार तारीख पेशीया तब्दील की गयी किन्तु अपीलार्थीया द्वारा अपील के माध्यम से उठाई गयी आपत्तियों के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई उज्र प्रकट किया गया हो, प्रतीत नही होता है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी की यह आपत्ति की उन्हें नोटिस/सूचना दिए बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है, उचित है किन्तु चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आगामी तारीख पेशी तक के लिये अपीलाधीन अन्तरिम आदेश के माध्यम से उभयपक्षों को प्रतिबन्धित किया गया है जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थीया को यदि कोई आपत्ति है तो उसे सर्वप्रथम इस सन्दर्भ में मौखिक अथवा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना उज्र प्रकट करना चाहिये | अतः अपीलार्थीया को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01/04/2021 को उपस्थित होकर अपनी आपत्ति के सन्दर्भ में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया की आपत्तियो का संज्ञान लेते हुये दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर